(वाद सं0– 6270/4/39/2021)

28.06.2022

परिवादिनी, स्वाति कुमारी जायसवाल, उपस्थित है।

परिवादिनी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादिनी, स्वाति कुमारी जायसवाल के प्रसव का हाजीपुर सदर अस्पताल, वैशाली द्वारा गलत रूप से सिजेरियन ऑपरेशन किये जाने से परिवादिनी की गंभीर स्थिति हो जाने तथा बाद में एक प्राईवेट नर्सिंग होम, में इलाज कराने में हुई आर्थिक क्षति से संबंधित है।

उपरोक्त पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर से प्रतिवेदन की माँग की गई। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निनत उक्त अस्पताल के 04 (चार) चिकित्सा पदाधिकारियों के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, मरीज (परिवादिनी) के प्रसव के शल्य क्रिया विशेषज्ञ, डॉ0 ज्योति रंजन, के द्वारा किया गया था, जिसमें उनके परिवार की सहमति ली गई थी। शल्य क्रिया के बाद जच्चा एवं बच्चा दोनों की स्थिति सामान्य थी तथा दोनों को बाद में संध्या 05.00 बजे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 02 (दो) घंटे बाद मरीज को अत्यधिक रक्त–स्त्राव की खबर आने में उक्त सर्जन एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा परिवादी को देख–रेख कर उचित दवा दी गई जिससे उसका रक्त–स्त्राव सामान्य हो गया। लगभग रात्रि 07.30 बजे मरीज के परिजनों को मरीज के बेहतर चिकित्सा हेतु पी0एम0सी0एच0, पटना रेफर किया गया। रेफर करते समय मरीज की स्थिति सामान्य थी। मरीज के परिजनों द्वारा मरीज को पी0एम0सी0एच0, पटना न ले जाकर पटना के एक प्राईवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उक्त प्राईवेट अस्पताल के अनुसार

हाजीपुर सदर अस्पताल द्वारा रेफर करने के बाद व प्राईवेट अस्पताल में भर्ती होने के समय परिवादी की स्थिति ठीक थी।

04 (चार) सदस्यीय चिकित्सा पदाधिकारियों की संयुक्त जाँच टीम द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हाजीपुर सदर अस्पताल द्वारा मरीज के ईलाज में कोई त्रुटि नहीं थीं तथा नियमानुकूल ईलाज किया गया तथा मरीज के परिजनों द्वारा अपने मन से एक सरकारी संस्थान को छोड़कर निजी संस्थान में ईलाज के लिए ले गये। जाँच टीम ने परिवादी के आरोप को निराधार एवं असत्य बताया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई।

अपने प्रत्युत्तर में परिवादिनी के पति, दीपक कुमार द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में 04 (चार) सदस्यीय चिकित्सा पदाधिकारियों की जाँच टीम द्वारा हाजीपुर सदर अस्पताल, वैशाली, हाजीपुर द्वारा मरीज (परिवादिनी) के ईलाज में कोई त्रुटि नहीं बताया गया है तो ऐसी परिस्थिति में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 13, 07–05/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक